E.D.S.

प्रपोजल सं0 एफपी/यूपी/रोड/30569/2017

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

पत्रांकः– 5636/मी0क्षे0/33/ दिनांक मीरजापुर, जून 2, 2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग,
मीरजापुर।

विषय– जनपद–मीरजापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–07 (वाराणसी–हनुमना सेक्सन) कि0मी0 संख्या 49.500 से कि0मी0 संख्या 140.200 तक के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875हे0 आरक्षित एवं 113.63..हे0 संरक्षित कुल 131.0175हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा बाधक 10473 वृक्षों के पातन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव।

सन्दर्भ– आपका पत्र संख्या 5130/मी0/15 दिनांक 30.05.2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक मामले की प्रेषित प्रस्ताव में निम्न कमियॉ परिलक्षित है।

1 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0एन0 11–360/2016 एफ0सी दिनांक 11.11.2016 के अनुसार भारत सरकार को प्रेषित की जाने वाली प्रस्ताव में मूल अभिलेख संलग्न की जाय।

2 प्रस्ताव-ए के फार्म ए के पार्ट–1 में प्रस्तावक विभाग के हस्ताक्षर तो है लेकिन मुहर नहीं लगे हैं।

3 प्रस्ताव-ए के संलग्नक अभिलेख की इन्डेक्स तो की गयी है लेकिन उसके सामने पृष्ठ संख्या अंकित नहीं है।

4 प्रस्ताव-ए के पृष्ठ संख्या 59 पर संलग्न लागत लाभ विश्लेषण पर प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

5 प्रस्ताव-ए के पृष्ठ संख्या 154 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र मड़िहान रेन्ज के सहसो कं0नं0 3 में 22.10हे0 पर क्षेत्रीय वन अधिकारी मड़िहान के हस्ताक्षर व मुहर नहीं है।

6 प्रस्ताव-ए के पृष्ठ संख्या 170 पर वन अधिकार अधिनियम–2006 के सम्बन्ध में सदर तहसील के उपजिलाधिकारी समिति की कार्यवृत्त में 24.2254हे0 उल्लेख है जबकि निहित ग्रामों की क्षेत्रफल 23.8930हे0 है स्पष्ट की जाय।

इसी प्रकार अन्य प्रस्तावों में उल्लिखित कमियों का निराकरण कराना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0प्रभाकर दूबे)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर